[2009] 4 एस. सी. आर 32

अब्दुल रहीम और अन्य

बनाम

एस के. अब्दुल ज़बार और अन्य

सिविल अपील सं. 1573/2009

6 मार्च 2009

[एसबी सिन्हा, अशोक कुमार गांगुली एम लोढ़ा, जे.जे.]

मुस्लिम विधि- उपहार – की मान्यता- उपहार में दी गई संपत्ति का कब्ज़ा सौंपने के साथ-साथ उपहार पर इस्लामी कानून की व्याख्या और/या अनुप्रयोग- पिता ने सम्पत्ति के संबंध में उपहार अभिलेख पुत्र के हक में निष्पादित किया- संपत्ति किरायेदारों को दे दी गयी- प्रतिपादितः इस प्रकृति के मामलों में रचनात्मक कब्ज़ा का हस्तांतरण कानून की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

परिसीमा अधिनियम, 1963-अनु० 59 – लेन देन सम्वहार को रद्द करने के लिए वाद- तीन वर्ष् की अवधि में दाखिल नहीं किया गया- प्रतिपादित- वाद परिसीमा द्वारा वर्जित था।

उपहार में दी गयी सम्पत्ति का कब्जा सौंपने के साथ-साथ उपहार पर इस्लामी विधि की व्याख्या और / या अनुप्रयोग इस अपील में शामिल प्रश्न थे।

'आर' के पिता ने सम्पत्ति के सम्बंध में 'आर' के पक्ष में प्रश्नगत उपहार विलेख को निष्पादित किया। संपत्ति किरायेदारों को दे दी थी। विलेख को 21-2-1973 या उसके आस पास निष्पादित किया गया था। वर्ष 1980 में, 'आर' के बड़े भाई, प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद इस निर्देश के लिए प्रार्थना करते हुए दायर किया कि उपहार विलेख अवैध, शून्य और निष्क्रिय था। विचारण न्यायालय के समक्ष विचार के लिए दो प्रश्न उठे अर्थात क्या प्रत्यर्थी नं 1 द्वारा दायर वाद परिसीमा द्वारा वर्जित था। और क्या दाता ने विवादित सम्पत्ति का कब्जा 'आर' के पक्ष मे सौप दिया था। विचारण न्यायालय ने वाद को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वाद परिसीमा अधिनियम, 1963 से जुड़ी अनुसूची के अनुच्छेद 59 द्वारा निर्धारित परिसीमा अवधि से परे दायर किया गया था। इसके अलावा आगे यह माना गया कि चूंकि रजाक अपने पिता के प्रतिनिधि के रूप में नहीं बल्कि अपनी स्वयं की हेसियत से वाद की भूमि के लिए किरायेदारों से मकान किराया वसूल कर रहा था और उसके पक्ष में नामान्तरण् के आदेश को ध्यान में रखते हुए, उपहार विलेख दिनांक 21.2.1973 कानून में मान्य था।

प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपील दायर की जिसको उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं लाई गई थी कि दाता ने उक्त संपत्ति के स्वामित्व से खुद को अलग कर लिया था और 'आर' का उस पर कब्जा था।

इस न्यायालय के समक्ष अपील मे अपीलकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में एक स्पष्ट त्रुटि की है क्योंकि वह इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि परिसर किरायेदारों को किराए पर दिया गया है। उसका रचनात्मक कब्जा सौंपने से कानून की आवश्यकताएं पूरी होती है।

अपील को स्वीकार करते हुये न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

1.1 एक उपहार तब पूर्ण हो जाता है जब कोई व्यक्ति अपनी चल या अचल संपत्ति का स्वामित्व तत्काल प्रभाव से किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर देता है, और वह अन्य व्यक्ति स्वयं या उसकी सहमति से कोई अन्य व्यक्ति उपहार में दी गई संपत्ति पर कब्जा कर लेता है। मुस्लिम विधि के अन्तगर्त यह एक संविदा है जो प्रस्ताव और स्वीकृति के माध्यम से प्रभावी होता है। [पैरा 10] [40-डी-ई]

1.2. मुस्लिम विधि के तहत उपहार को वैध और पूर्ण बनाने के लिए शर्तें इस प्रकार हैं:

(ए) दाता समझदार और वयस्क होना चाहिए और उस संपत्ति का मालिक होना चाहिए जिसे वह उपहार में दे रहा है।

(बी) उपहार में दी गई वस्तु हिबा के समय अस्तित्व में होनी चाहिए।

(सी) यदि उपहार में दी गई वस्तु विभाज्य हो तो उसे अलग करके प्रथक कर देना चाहिए।

(डी) उपहार में दी गई वस्तु ऐसी संपत्ति होनी चाहिए जिससे लाभ उठाना शरीयत के तहत वैध हो।

(ई) उपहार में दी गई वस्तु के साथ उपहार में न दी गई वस्तु नहीं होनी चाहिए; यानी उन चीजों से मुक्त होना चाहिए जो उपहार में नहीं दी गई हैं।

(एफ) उपहार में दी गई वस्तु स्वयं प्राप्तकर्ता या उसके प्रतिनिधि, अभिभावक या निष्पादक के कब्जे में आनी चाहिए।

यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि किसी वैध उपहार के कारण उपहार में दी गई वस्तु प्राप्तकर्ता के स्वामित्व से बाहर हो गई है, तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। [पैरा 10] [40-ई; 41-ए]

1.3. यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि वैध उपहार के कारण उपहार में दी गई वस्तु प्राप्तकर्ता के स्वामित्व से बाहर हो गई है, तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। [पैरा 10] [41-बी]

1.4. दाता किसी पट्टेदार या गिरवीदार के कब्जे में संपत्ति का कानूनी रूप से उपहार कर सकता है। प्रभावी वैध उपहार के लिए, प्राप्तकर्ता को संपत्ति का रचनात्मक कब्ज़ा सौंपने से उद्देश्य पूरा होगा। यहां तक कि अतिचारी के कब्जे में संपत्ति का उपहार भी कानून में स्वीकार्य है, बशर्ते कि दानकर्ता या तो संपत्ति प्राप्त कर लेता है और प्राप्तकर्ता को उसका कब्जा दे देता हैया कब्जा प्राप्त करने के लिए प्राप्तकर्ता की शक्ति के भीतर रखने के लिए वह यह सब कुछ करता है। [पैरा 10] [41-सी]

मकबूल आलम खान बनाम श्रीमति खोदाईजा व अन्य (1966) 3 एससीआर 479 और मुलिक अब्दुल गफूर बनाम मुलेका आईएलआर (1884) 10 कलकत्ता 1112- संदर्भित।

मूल्ला के मुस्लिम विधि के सिद्धान्त; ए ए फेजी द्वारा मुस्लिम विधि की रूपरेखा; सैयद अमीर अली द्वारा मुस्लिम विधि की समीक्षा और मुस्लिम विधि- फैज बदरूद्दीन तैयबजी द्वारा 'द पर्सनल लॉ ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान'- संदर्भित

2. वर्तमान मामले में, उपहार का विलेख एक पंजीकृत दस्तावेज है। इसमें संपत्ति के पूर्ण विनिवेश की स्पष्ट और असंदिग्ध घोषणा शामिल है। एक पंजीकृत दस्तावेज़ अपने साथ यह धारणा रखता है कि इसे वैध रूप से निष्पादित किया गया था। लेन-देन सम्वहार की वास्तविकता पर सवाल उठाने वाले पक्ष को यह दर्शना होता है कि कानूनन लेन-देन सम्वहार वैध

नहीं था। 'आर' किरायेदारों से किराया प्राप्त कर रहा था। वास्तव में, प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने वाद में किराए के बंटवारे के लिए डिक्री के लिए दावा किया था। यह न्यायालय यह मानेगा कि 'आर' अपने पिता के जीवनकाल के दौरान किरायेदारों से किराया वसूल करता रहा था। हालाँकि, उसके पक्ष में नामांतरण का आदेश पारित होते ही लगान वसूलने की प्रतिनिधित्वा ख़त्म हो गई। इस तथ्य के अलावा कि 'आर' को किराया एकत्र करना जारी रखने की अनुमति दी गई थी, जिसे उपहार के विलेख में की गई घोषणा को ध्यान में रखते हुए, उसकी अपनी ओर से माना जाना चाहिए, न कि दाता की ओर से। [पैरा 14] [44-ई-जी]

3. वाद परिसर का रचनात्मक कब्ज़ा दाता द्वारा सौंपा गया माना जाना चाहिए क्योंकि उसने स्वयं ने राजस्व रिकॉर्ड में 'आर' के नाम के नमान्तरण के लिए प्रार्थना की थी। उच्च न्यायालय ने राजस्व प्राधिकारी के आदेश को गलत समझा। यह तहसीलदार के समक्ष दाता के आवेदन के महत्व और उद्देश्य पर विचार करने में विफल रहा और यह मानने में स्पष्ट त्रुटि की, कि उस आधार पर नामान्तरण का आदेश निर्णायक नहीं था। इस प्रकृति के मामलों में, इस प्रकार, रचनात्मक कब्ज़ा का हस्तांतरण कानून की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। उच्च न्यायालय ने यह मानने में गंभीर त्रुटि की, कि दाता द्वारा कब्जा 'आर' को नहीं सौंपा गया था। [पैरा 15,17] [44-एच; 45-ए-बी; डी-ई; 46-डी-ई]

वालिया पीडिकाक्कंडी कुथीस्मा उम्मांद व अन्य बनाम पाठककलां नरवनाथ कुम्हामुंड व अन्य ए. आई. और. 1964 एस. सी. 275- पर निर्भर

मुन्नी बाई व अन्य बनाम अब्दुल गनी ए आई आर (1959) मध्य प्रदेश 225 और अबू खान बनाम मोरियम बीबी (1974) 40 कटक लॉ टाइम्स 1306-संदर्भित।

4. लेनदेन सम्वहार को रद्द करने के लिए वाद, चाहे वह शून्य या शून्यकरणीय होने के आधार पर हो, परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 59 द्वारा शासित होगा। इसलिए, वाद इस तथ्य की जानकारी कि वादी के अनुसार जो लेनदेन शून्य या शून्यकरणीय था, वह हुआ था की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर दायर किया जाना चाहिए था। वाद तीन वर्ष की अवधि के भीतर दायर नहीं किया गया है, इसलिए वाद को परिसीमा द्वारा वर्जित होना सही माना गया है। [पैरा 19] [47-डी-ई]

मो. नूरुल होदा बनाम बीबी रायफुन्निसा व अन्य। ([1996) 7 एस. सी. सी. 767 और स्नेह गुप्ता बनाम देवी सरूप व अन्य। (2009) 2 स्केल 765-संदर्भित।

नजीर कानून संदर्भ

(1966) 3 एससीआर 47, संदर्भित किया गया है, पैरा 12

आई.एल.आर. (1884) 10 कलकत्ता 1112, संदर्भित किया गया है पैरा 12

ए. आर. आर (1959) मध्य प्रदेश 225, संदर्भित किया गया है, पैरा 16

(1974) 40 कटक लॉ टाइम्स 1306, संदर्भित किया गया है, पैरा 16

ए. आई. आर. 1964 एस. सी 275, संदर्भित किया गया है, पैरा 16

(1996) 7 एस. सी. सी. 767, संदर्भित किया गया है, पैरा 19

(2009) 2 स्केल 765, संदर्भित किया गया है, पैरा 19

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 1573/2009

माननीय उच्च न्यायालय, उड़ीसा, कटक के प्रथम अपील नं० 197/1982 में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 30.06.2008 से।

आर. के. दास, सुचित मोहंती, अनुपम लाल दास- याचिकाकर्ताओं की ओर से।

भरत संगल, प्रसेनजीत दास, मृणालिनी दिनम, वर्निका तोमर, प्रत्यर्थीगण के लिए।

न्यायालय का निर्णय एसबी सिन्हा, जे. द्वारा पारित किया गया।

1. अनुमति दी गई

2. उपहार में दी गई संपत्ति का कब्ज़ा सौंपने के साथ-साथ उपहार पर इस्लामी कानून की व्याख्या और/या अनुप्रयोग इस अपील में शामिल प्रश्न है। यह उड़ीसा, कटक के उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष् 1982 की प्रथम अपील संख्या 197 में दिनांक 30.6.2008 को पारित निर्णय व आदेश से उत्पन्न हुआ है, जिसके तहत और जिसके अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1- वादी द्वारा दायर की गई पहली अपील को वाद को डिक्री करते हुये स्वीकार किया गया।

3. निर्विवाद रूप से, विचाराधीन संपत्तियाँ एक हाजी एसके अब्दुल्ला की थीं। उसके दो बेटे और चार बेटियां थीं। प्रतिवादी नंबर 1- वादी उसका बड़ा बेटा था; जबकि अपीलकर्ताओं के पिता अब्दुल रजाक ('रजाक') (मृतक) छोटा बेटा था। उसकी बेटियों की शादी हो गई थी। उसने 1960 में अपनी बेटियों के पक्ष में कुछ ज़मीनें उपहार में दीं थी। बदले में उन्होंने उसकी संपत्तियों में अपना अधिकार छोड़ दिया था। उसने 21.2.1973 या इसके आसपास रजाक के हक में एक पंजीकृत उपहार विलेख निष्पादित किया। उपहार में दी गई संपत्ति एक घर थी। उससे सटा हुआ ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जो राज्य का था। राज्य ने हाजी एसके अब्दुल्ला के पक्ष में एक अस्थायी पट्टा प्रदान किया था। इसका उपयोग उक्त घर में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए किया जा रहा था। यह भी विवादित नहीं है कि उसने वर्ष 1975 में अपनी संपत्तियों को प्रतिवादी नंबर

1, उसके बेटों और रजाक के बेटों, यहां अपीलकर्ताओं के हक में स्थानांतरित करते हुए विभिन्न दस्तावेजों को निष्पादित किया।

दिनांक 21.2.1973 के उक्त उपहार विलेख में विवरण इस प्रकार है:

"विवरण- मुझ, दाता ने अनुसूचित भूमि एसके अब्दुल अज़ीज़ी अहमदी से 14.10.1958 को जरिये पंजीकृत विलेख संख्या 11399 द्वारा खरीदी थी और खरीद की तारीख से मैं उसके मालिक के रूप में कब्जे मे रहा हूं। चूकि मैं बूढा हो गया हूं, आप ग्रहीता हैं मेरा छोटा बेटा होने के नाते, आप अपनी पत्नी के साथ मेरी बहुत देखभाल कर रहे हैं और इसके अलावा आप दोनों मेरा बहुत सम्मान भी करते हैं, इसलिए आपसे संतुष्ट होकर मैंने आपको अनुसूचित भूमि जो कि मेरी स्व-अर्जित संपत्ति है को उपहार में देने का फैसला किया है और अच्छे स्वास्थ्य और दिमाग में रहते हुए, मैं उपहार के रूप में लगभग चार हजार रुपये मूल्य की अनुसूचित भूमि आपको हस्तांतरित कर रहा हूं और उपहार के इस विलेख को निष्पादित कर रहा हूं और ऐसा करते हुए मैं घोषणा करता हूं कि आज से आप और आपके बच्चे उत्तराधिकार से उसका उपभोग करेगे और कब्जा प्राप्त करेंगें और आँचल को किराया अदा करेगे और तुम्हारे नाम पर

किराये की- रसीद प्राप्त करेगे और जब भी आवश्यकता पड़ेगी आप उसे हस्तांतरित कर सकते हो, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि मैं आपत्ति करता हूँ, तो इसे कोई भी कानून की अदालत स्वीकार नहीं करेगी और यह विलेख वैध और प्रभावी रहेगा।

दिनांक 21 फरवरी, 1973"

4. वर्ष 1975 में हाजी एसके. अब्दुल्ला ने रजाक के नाम का राजस्व भूमि मे नामान्तरण करने के लिए वर्ष 1975 के केस नंबर 93 के रूप में भद्रक के तहसीलदार के समक्ष एक आवेदन यह कहते हुए दायर किया, कि

"मैं, वर्तमान आवेदक हाजी शेख अब्दुल्ला उम्र 85 वर्ष, पुत्र एसके अब्दुल गफूर, शंकरपुर, भद्रक, जिला बालासोर, यह कहता हूं कि बुढापे के कारण मैं चलने में असमर्थ हूं। मेरे बेटे अब्दुल रजाक की सेवा एवं प्रदान की गई मदद सेवाओं से संतुष्ट रहते हुए मैंने एक पंजीकृत उपहार विलेख संख्या 1647 दिनांक 21.2.73 के जरिये उसे निम्नलिखित भूमि यां उपहार में दी है और इसलिए, मेरा उक्त संपत्तियों पर कोई दावा नहीं है।

इसलिए किरायेदारी खाता बही में मेरे नाम की जगह मेरे बेटे अब्दुल रजाक का नाम दर्ज किया जाए और उससे किराया वसूला जाए। "

5. निर्विवाद रूप से, रजाक ने सरकारी भूमि के उक्त छोटे भाग जो कि वाद भूमि के साथ मिलकर एक सघन क्षेत्र बनाती है के संबंध में अस्थायी पट्टा देने के लिए 1976 में टीएल मुकदमा संख्या 7 दायर किया। उक्त कार्यवाहीयों में उपहार विलेख भी प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवादी नंबर 1 ने अपीलकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना पर आपत्ति जताई। दिनांक 6.4.1977 के एक आदेश द्वारा, तहसीलदार, भद्रक ने यह मानते हुए कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा उठाई गई आपत्ति बिना किसी गुणावगुण के थी, रजाक के पक्ष में लाइसेंस के नवीनीकरण की अनुशंषा की।

6. प्रतिवादी नंबर 1 ने 2.9.1980 को या उसके आसपास अधीनस्थ न्यायाधीश, भद्रख की अदालत में 1980 के ओएस नंबर 112 एक वाद दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह घोषणा करने की प्रार्थना की गई कि दिनांक 21.2.1973 का उक्त उपहार विलेख अवैध, शून्य और निष्क्रिय था।

विद्वान परीक्षण न्यायाधीश के विचार के लिए उसमें दो प्रश्न उठे: (1) क्या वाद परिसीमा द्वारा वर्जित था; और (2) क्या हाजी एस के अब्दुल्ला ने विवादित संपत्तियों का कब्ज़ा रज़ाक के पक्ष में सौंप दिया था। निर्विवाद

रूप से, वाद के लंबित रहने के दौरान, रज़ाक की मृत्यु हो गई और उसके विधिक उत्तराधिकारियों, यहाँ अपीलकर्ताओं, को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया गया।

विचारण न्यायालय ने वाद को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वाद दायर करने की कार्यवाही का वाद हैतुक 6.4.1977 को उत्पन्न हुआ था। वाद परिसीमा अधिनियम, 1963 से जुडी अनुसूची के अनुच्छेद 59 द्वारा निर्धारित परिसीमा अवधि से परे दायर किया गया था। इसके अलावा आगे यह माना गया कि चूंकि रजाक अपने पिता के प्रतिनिधि के रूप में नहीं बल्कि अपनी स्वयं की हैसियत से वाद की भूमि के लिए किरायेदारों से मकान किराया वसूल कर रहा था और उसके पक्ष में नामान्तरण के आदेश को ध्यान में रखते हुए, उपहार विलेख दिनांक 21.2.1973 कानून में मान्य था।

7. प्रतिवादी नंबर 1 ने इसके खिलाफ अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ उक्त अपील को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि चूंकि रजाक अपने पिता की मृत्यु की तारीख से पहले भी किरायेदारों से किराया वसूल कर रहा था और यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं लाई गई थी कि हाजी एस के अब्दुल्ला ने उक्त संपत्ति के स्वामित्व से खुद को अलग कर लिया था और रजाक का उस पर कब्जा था। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि प्रतिवादी नंबर 1 को

रजाक के पक्ष में उपहार विलेख के निष्पादन के तथ्य का पता वर्ष 1980 में ही चला।

8. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री और के दास ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में एक स्पष्ट त्रुटि की है क्योंकि वह इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि परिसर किरायेदारों को किराए पर दिया गया है। उस पर रचनात्मक कब्जा सौंपने से कानून की आवश्यकताएं पूरी होती हैं।

9. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगणों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री भरत संगल ने प्रस्तुत किया किः

i) प्रतिवादी नंबर 1 दाता की ओर से कोई प्रत्यक्ष कार्य यह स्थापित करने हेतु साबित नहीं हो पाया है कि परिसर का कब्ज़ा वास्तव में दान गृहिता को दिया गया था।

ii) चूँकि उपहार विलेख के निष्पादन से पहले ही किरायेदारों से किराया वसूल किया जा रहा था, इसलिए अपने आप में किराया वसूलने से कब्जे का देना स्थापित नहीं होगा।

iii) भूमि की एक अलग पट्टी के संबंध में नामान्तरण का आदेश पारित किया गया है और उपहार के विलेख का विषय नहीं होने से यह मुद्दे के निर्धारण के लिए सुसंगत नहीं था।

iv) वादी ने शपथ पर कहा है कि उसने उक्त नामान्तरण कार्यवाहीयों में कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है और उपहार के विलेख के निष्पादन के बारे में केवल वर्ष 1980 में पता चला है, वाद परिसीमा की निर्धारित अवधि में दायर किया गया माना जाना चाहिए।

10. एक उपहार तब निर्विवाद रूप से पूर्ण हो जाता है जब कोई व्यक्ति अपनी चल या अचल संपत्ति का स्वामित्व तत्काल प्रभाव से किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर देता है, और वह अन्य व्यक्ति स्वयं या उसकी सहमति से कोई अन्य व्यक्ति उपहार में दी गई संपत्ति पर कब्जा कर लेता है। मुस्लिम विधि के अन्तर्गत यह एक संविदा है जो प्रस्ताव और स्वीकृति के माध्यम से प्रभावी होती है।

मुस्लिम विधि के तहत उपहार को वैध और पूर्ण बनाने के लिए शर्तें इस प्रकार हैं:

(ए) दाता समझदार और वयस्क होना चाहिए और उस संपत्ति का मालिक होना चाहिए जिसे वह उपहार में दे रहा है।

(बी) उपहार में दी गई वस्तु हिबा के समय अस्तित्व में होनी चाहिए।

(सी) यदि उपहार में दी गई वस्तु विभाज्य हो तो उसे अलग करके प्रथक कर देना चाहिए।

(डी) उपहार में दी गई वस्तु ऐसी संपत्ति होनी चाहिए जिससे लाभ उठाना शरीयत के तहत वैध हो।

(ई) उपहार में दी गई वस्तु के साथ उपहार में न दी गई वस्तु नहीं होनी चाहिए; यानी उन चीजों से मुक्त होना चाहिए जो उपहार में नहीं दी गई हैं।

(एफ) उपहार में दी गई वस्तु स्वयं प्राप्तकर्ता या उसके प्रतिनिधि, अभिभावक या निष्पादक के कब्जे में आनी चाहिए।

यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि किसी वैध उपहार के कारण उपहार में दी गई वस्तु प्राप्तकर्ता के स्वामित्व से बाहर हो गई है, तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। दाता किसी पट्टेदार या गिरवीदार के कब्जे में संपत्ति का कानूनी रूप से उपहार कर सकता है। प्रभावी वैध उपहार के लिए, प्राप्तकर्ता को संपत्ति का रचनात्मक कब्ज़ा सौंपने से उद्देश्य पूरा होगा। यहां तक कि अतिचारी के कब्जे में संपत्ति का उपहार भी कानून में स्वीकार्य है, बशर्ते कि दानकर्ता या तो संपत्ति प्राप्त कर लेता है और प्राप्तकर्ता को उसका कब्जा दे देता हैया कब्जा प्राप्त करने के लिए प्राप्तकर्ता की शक्ति के भीतर रखने के लिए वह यह सब कुछ करता है।

11. हम विभिन्न पाठ्य पुस्तकों में दी गई उपहार की परिभाषा पर गौर कर सकते हैं:

मुल्ला के मुस्लिम विधि के सिद्धांतों में 'हिबा'को एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को बिना किसी विनिमय के तुरंत किया गया संपत्ति का हस्तांतरण और दूसरे द्वारा या उसकी और से स्वीकार किये जाने, के रूप में परिभाषित किया गया है।

एए फ़ैज़ी ने अपने मुस्लिम विधि की रूपरेखा'में 'उपहार' को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है:

> "एक व्यक्ति अपने जीवनकाल के दौरान कानूनी तौर पर अपनी संपत्ति किसी दूसरे को उपहार में दे सकता है, या अपनी मृत्यु के बाद वसीयत द्वारा इसे किसी को दे सकता है। पहले को अन्तर जीवित स्वभाव कहा जाता है; दूसरे को वसीयतनामा स्वभाव कहा जाता है। मुस्लिम विधि दोनों प्रकार के हस्तान्तरण की अनुमति देती है लेकिन जबकि एक अन्तर जीवित स्वभाव मात्रा के मामले में बंधनमुक्त है, एक वसीयतनामा स्वभाव शुद्ध संपत्ति के एक तिहाई तक सीमित है। मुस्लिम विधि एक व्यक्ति को अपने जीवन काल के दौरान अपनी पूरी संपत्ति देने की अनुमति देती है, लेकिन इसका केवल एक-तिहाई हिस्सा ही वसीयत द्वारा दिया जा सकता है। "

सैयद अमीर अली ने अपनी "मुस्लिम विधि पर समीक्षा" में हिबा की परिभाषा को निम्नलिखित शब्दों में बढ़ाया है:

> "दूसरे शब्दों में, "हिबा" एक व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति या किसी वस्तु के पदार्थ पर विचार किए बिना एक स्वैच्छिक उपहार है, ताकि प्राप्तकर्ता, उपहार की विषय वस्तु का मालिक बन सके। इसकी वैधता के लिए यह तीन स्थितियाँ आवश्यक है अर्थात्, (ए) दाता की ओर से देने की इच्छा की अभिव्यक्ति(बी) प्राप्तकर्ता की या तो निहित या रचनात्मक रूप से स्वीकृति और(सी) उपहार की विषय वस्तु को प्राप्तकर्ता द्वारा वास्तव में या रचनात्मक रूप से अपने कब्जे में लेना। "

12. मकबूल आलम खान बनाम श्रीमती खोदैजा एवं अन्य। [(1966) 3 एससीआर 479] में यह अभिनिर्धारित किया गया था:

> "पैगंबर ने कहा है: "एक उपहार बिना कब्जा के मान्य नहीं है। " कानून का नियम है कि *"उपहारों को निविदा, स्वीकृति और कब्जे के द्वारा वैध बनाया जाता है।* - निविदा और स्वीकृति आवश्यक है क्योंकि उपहार एक संविदा है, और सभी संविदाओं के निर्माण में निविदा और स्वीकृति अपेक्षित है; और उपहार में सम्पत्ति के अधिकार को

स्थापित करने के लिए कब्जा आवश्यक है। क्योकी हमारे डॉक्टरों के अनुसार, केवल संविदा के माध्यम से दी गयी चीज में सम्पत्ति का अधिकार बिना कब्जे के स्थापित नहीं होता है। " [हैमिल्टन का हेडया (ग्रैडीज़ संस्करण), पृष्ठ 482 देखें।]

पहले कानून के शासन को इतना सख्त माना जाता था कि यह कहा जाता था कि किसी सूदखोर (या गलत काम करने वाले) या पट्टेदार या गिरवीदार के कब्जे वाली भूमि को नहीं दिया जा सकता है, देखें डोर्रुल मोख्तार, उपहार पर पुस्तक, पेज 635 देखें। मुल्लिक अब्दुल गुफ़ूर बनाम मुलेका में उद्धृत। लेकिन अब यह विचार प्रचलित है कि पट्टेदार या गिरवीदार के कब्जे में संपत्ति का एक वैध उपहार और प्राप्तकर्ता को संपत्ति का रचनात्मक कब्जा देकर पर्याप्त रूप से उपहार किया जा सकता है। कुछ प्राधिकारियों का अभी भी यह मानना है कि किसी हड़पने वाले के कब्जे में मौजूद संपत्ति को नहीं दिया जा सकता है, लेकिन यह दृष्टिकोण हमें बहुत कठोर प्रतीत होता है। दाता किसी अतिचारी के कब्जे में मौजूद संपत्ति को विधिक तौर पर उपहार में दे सकता है। ऐसा उपहार वैध है, बशर्ते कि दानकर्ता या तो संपत्ति प्राप्त करता है और प्राप्तकर्ता को उसका कब्ज़ा दे देता है या कब्ज़ा प्राप्त करने के लिए प्राप्तकर्ता की शक्ति के भीतर रखने के लिए वह यह सब कुछ करता है।

[मुल्लिक अब्दुल गुफ़ूर बनाम मुलेका [आईएलआर 1884 (10) कलकत्ता 1112] भी देखें।

13. फैज़ बदरुद्दीन तैयबजी ने अपने 'मुस्लिम लॉ- द पर्सनल लॉ ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान' में कानून को इस प्रकार बताया है कि:

> "395. (1) उपहार की घोषणा और स्वीकृति उपहार के विषय के स्वामित्व को जब तक हस्तांतरित नहीं करती है, जब तक कि दाता जैसा की उपहार का विषय इजाजत देता है एेसे कब्जे को प्राप्तकर्ता को हस्तांतरित नहीं करता है, अर्थात जब तक दाता (ए) यदि प्राप्तकर्ता चाहे तो उसे उपहार की वस्तु पर कब्ज़ा करने की शक्ति प्रदान करता है, या (बी) वो सब कुछ करता है, जो संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित करने के लिए, और उपहार को पूर्ण और स्वयं के लिए बाध्यकारी बनाने के लिए उपहार का विषय बनाने वाली संपत्ति की प्रकृति के अनुसार किया जाना आवश्यक है।
>
> (2) इमाम मलिक का मानना है कि उपहार के विषय का अधिकार घोषणा के समय से संबंधित है। "

पूर्ण स्वामित्व को हस्तांतरित करने के लिए मुस्लिम विधि के अन्तर्गत कब्ज़ा हस्तांतरित करना आवश्यक है। विद्वान लेखक कहते हैं:

"हिबा में कब्जे का हस्तांतरण केवल विचार का विषय नहीं है, ना ही केवल उपहार देने के इरादे का सबूत देने वाली कोई चीज है। कब्जे के हस्तांतरण की आवश्यकता का सारभूत विधि का भाग होने के रूप में स्पष्ट रूप से जोर दिया गया है, क्योंकि कब्जे का हस्तांतरण उपहार देने के इरादे के होने, अर्थात संपत्ति के स्वामित्व को दाता से प्राप्तकर्ता को स्थानांतरित करना सिद्ध करता है। यह कहा जा सकता है कि कब्जे का हस्तांतरण संविदा की वैधता के लिए विचार की आवश्यकता से अधिक कोई विषय नहीं है। कानून यह नहीं पूछता है, क्या दाता वास्तव में उपहार का विषय देने का इरादा रखता था, यानी क्या वह वास्तव में उपहार के विषय का स्वामित्व स्वयं से प्राप्तकर्ता को हस्तांतरित करने का इरादा रखता था? कानून क्या पूछता है, कि क्या दाता ने वास्तव में कुछ दे दिया है? या क्या स्वामित्व वास्तव में दाता से प्राप्तकर्ता को हस्तांतरित कर दिया गया है? संविदाओं के संबंध में यह अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है: कि "यह निर्धारित करना अक्सर मुश्किल होता है कि क्या जो कहा गया है वह केवल किसी मामले के बारे में व्यवहार करने की इच्छा के बराबर है, या एक पूर्ण संविदा है। एक रीति अपनाने से कठिनाई दूर हो

जाती है। ताकि जिसे केवल रीति के रूप में होने का मामला माना गया हो वह सारभूत विधि में शामिल हो जाए। क्या निर्धारित किया जाना है वह यह नहीं है कि क्या दाता ने अंततः उपहार देने का संकल्प लिया था, बल्कि यह है कि क्या उसने वास्तव में संपत्ति हस्तांतरित कर दी थी- और यहां तक कि जहां हस्तांतरण विचार के लिए है, कानून की अधिकांश प्रणालियों में, कब्ज़ा पक्षकारों और उनके माध्यम से दावा करने वाले अन्य लोगों के अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण धारक है। चूंकि (मुस्लिम विधि के तहत) मालिक का अधिकार उसकी मृत्यु पर समाप्त हो जाता है, और उसके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जहां मालिक संपत्ति को दूसरे को हस्तांतरित किए बिना मर जाता है, वह व्यक्ति जिसको स्वैच्छिक हस्तांतरण करने का इरादा किया गया था, उत्तराधिकारियों के खिलाफ कोई दावा नहीं रखता है। "

14. निर्विवादित रूप से उपहार का विलेख एक पंजीकृत दस्तावेज है। इसमें संपत्ति के पूर्ण विनिवेश की स्पष्ट और असंदिग्ध घोषणा शामिल है। एक पंजीकृत दस्तावेज़ अपने साथ यह धारणा रखता है कि इसे वैध रूप से निष्पादित किया गया था। लेन-देन सम्वहार की वास्तविकता पर सवाल उठाने वाले पक्ष को यह दर्शाना होता है कि लेन-देन सम्वहार कानूनन वैध

नहीं था। हमने यहां पहले देखा है कि रजाक किरायेदारों से किराया प्राप्त कर रहा था। वास्तव में, प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने वाद में किराए के बंटवारे के लिए डिक्री के लिए दावा किया था। यह न्यायालय मानेगा कि रजाक अपने पिता के जीवनकाल के दौरान किरायेदारों से किराया वसूल करता रहा था। हालाँकि, उसके पक्ष में नामांतरण का आदेश पारित होते ही लगान वसूलने कीप्रतिनिधित्वा ख़त्म हो गई। इस तथ्य के अलावा कि रजाक को किराया एकत्र करना जारी रखने की अनुमति दी गई थी, जिसे उपहार के विलेख में की गई घोषणा को ध्यान में रखते हुए, उसकी अपनी ओर से माना जाना चाहिए, न कि दाता की ओर से।

15. वाद परिसर का रचनात्मक कब्ज़ा दाता द्वारा सौंपा गया माना जाना चाहिए क्योंकि उसने स्वयं ने राजस्व रिकॉर्ड में रजाक के नाम के नमान्तरण के लिए प्रार्थना की थी। हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने राजस्व प्राधिकारी के आदेश को गलत समझा। यह तहसीलदार के समक्ष दाता के आवेदन के महत्व और उद्देश्य पर विचार करने में विफल रहा और यह मानने में स्पष्ट त्रुटि की, कि उस आधार पर नामान्तरण का आदेश निर्णायक नहीं था। प्रतिवादी नंबर 1 ने स्वयं को गवाह (पीडब्लू2) के रूप में परिक्षित कराते हुए यह स्पष्टतः स्वीकार किया कि-

> "मेरे पिता ने उस मामले में डी.1 के हक में पटटे की भूमि को दर्ज करने के लिए आवेदन किया था। मेरी आपत्ति के

बावजूद डी.1 को 1976 में मेरे पिता के स्थान पर पट्टेदार के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। प्रदर्श डी-4 वह वकालतनामा है जिसे मैंने अधिवक्ता श्री एनसी महापात्र, के पक्ष में निष्पादित किया था। प्रदर्श डी-5 मेरी ओर से उस पटटे के मामले में दायर स्थगन याचिका है। मैं टीएल 7/76 में कार्यवाही का पालन नहीं कर सका। यह कोई तथ्य नहीं है कि मुझे डी.1 के उपहार के बारे में 1976 से पता था। ''

इस प्रकार की प्रकृति के मामलों में, रचनात्मक कब्जे का हस्तांतरण कानून की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

मुन्नी बाई व अन्य बनाम अब्दुल गनी [एलआईआर 1959 मध्य प्रदेश 225], में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि

"(6) हालांकि, कब्जे का परिदान इस तरह से किया जा सकता है कि उपहार का विषय अतिसंवेदनशील हो: सादिक हुसैन खान बनाम हाशिम अली खान, 43 इंड ऐप 212 पृष्ठ 221 पर देखें: (एलआईआर 1916 पीसी 27)। मोचन की साम्या के उपहार के मामले में जब बंधक सूदखोरी हो, तो संपत्ति के भौतिक कब्जे का कोई परिदान नहीं हो सकता है। इन परिस्थितियों में, श्रीमती धापली द्वारा प्रदर्श पी- 1 का

निष्पादन, जिसके द्वारा, उपहार करने की मौखिक घोषणा करने के बाद उसके द्वारा प्रतिवादी को घर के मालिक के रूप में पहचाना और उसके प्रतीक के रूप में उसे दस्तावेज़ सौंप देना कब्जे का पर्याप्त परिदान है। "

16. अबू खान बनाम मोरियम बीबी [1974 (40) कटक लॉ टाइम्स 1306] में उड़ीसा उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि:

कब्जे की प्रदान या तो वास्तविक या रचनात्मक हो सकता है। 'कब्जे को तैयबजी द्वारा मुस्लिम विधि की धारा 394 में परिभाषित किया गया है। परिभाषा इस प्रकार है:-

"किसी व्यक्ति के पास किसी चीज़ या अचल संपत्ति का कब्ज़ा तब होना कहा जाता है, जब उसे इसके संदर्भ में इस प्रकार रखा जाता है कि वह इससे लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जो यह प्रदान करने में सक्षम है या जैसा कि आमतौर पर इससे प्राप्त होता है उस पर पूर्ण नियंत्रण रख सके। इस प्रकार, कब्ज़ा न केवल भूमि के आनंद के कृत्यों द्वारा दर्शाया जा सकता है, बल्कि यह सुनिश्चित करके भी दिखाया जा सकता है कि वस्तु का वास्तविक नियंत्रण किसको दिया जाना है या कब्जे के लाभों का श्रेय किसको दिया जाना है,

भले ही कोई अन्य व्यक्ति भूमि पर स्पष्ट कब्ज़े में हो। एक मामले में, यह वास्तविक कब्ज़ा होगा और दूसरे मामले में, यह रचनात्मक कब्ज़ा होगा। "

उस मामले में, दस्तावेज़ में की गई घोषणा के साथ उपहार विलेख को सौंपना एक वैध उपहार बनाने के लिए पर्याप्त माना गया था।

वालिया पीडिकाक्कंडी कुथीस्मा उम्मांद व अन्य बनाम पाठककलां नरवनाथ कुम्हामुंड [एलआईआर 1964 एससी 275] भी देखें,

हम इसमें निर्धारित अनुपात से सहमत हैं।

17. इसलिए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने यह राय देकर गंभीर त्रुटि की है कि दाता द्वारा रजाक को कब्ज़ा नहीं सौंपा गया था।

18. इस प्रकृति के मामले में वाद दायर करने की सीमा, परिसीमा अधिनियम से जुड़ी अनुसूची के अनुच्छेद 59 द्वारा शासित होती है, जो इस प्रकार है:

किसी डिक्री या उपकरण को या तो अनुबंध के निरस्तीकरण लिए रद्द करना या अलग रखना, (वाद का वर्णन), परिसीमा काल (3 वर्ष), जब तथ्य वादी को अधिकार देना लिखत या डिक्री को रद्द करना या अलग रख दें या अनुबंध रद्द कर देना सबसे पहले उसे जाना जाना चाहिए। (समय जिससे अवधि चलने लगती है)

प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने वाद में दिनांक 21.2.1973 के उपहार विलेख को रद्द करने और अपास्त करने की प्रार्थना की। उसे तहसीलदार के समक्ष कार्यवाहीयों में उपहार विलेख के बारे में पता चला। उसने ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े जिसका उपयोग संबंधित संपत्ति में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए किया जा रहा था के संबंध में अपने नाम पर पट्टा देने के लिए रज़ाक के आवेदन पर आपत्ति दर्ज की थी। उस कार्यवाही में, दाता स्वयं ने प्रश्नगत संपत्ति के संबंध में रजाक के नाम के नामान्तण के लिए प्रार्थना की थी।

19. लेनदेन सम्वहार को रद्द करने के लिए वाद, चाहे वह शून्य या शून्यकरणीय होने के आधार पर हो, परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 59 द्वारा शासित होगा। इसलिए, वाद इस तथ्य की जानकारी कि वादी के अनुसार जो लेनदेन शून्य या शून्यकरणीय था, वह हुआ था, की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर दायर किया जाना चाहिए था। वाद तीन वर्ष की अवधि के भीतर दायर नहीं किया गया है, इसलिए वाद को परिसीमा द्वारा वर्जित होना सही माना गया है।

मो. नूरुल होदा बनाम बीबी रायफुन्निसा व अन्य[1996 (7) एससीसी 767], में इस न्यायालय ने कहा:

> "....इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अनुच्छेद 59 परस्पर पक्षकारों के बीच दस्तावेज़, डिक्री या संविदा को रद्द

करने के लिए लागू होगा। सवाल यह है कि क्या डिक्री या दस्तावेज़के पक्षकार के माध्यम से स्वामित्व का दावा करने वाले व्यक्ति या ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के मामले में किसी लिखत या डिक्री या अनुबंध के और किसी विशिष्ट घोषणा द्वारा डिक्री से बचने की मांग करने पर, क्या अनुच्छेद 59 आकर्षित होता है? जैसा कि पहले कहा गया है, अनुच्छेद 59 एक सामान्य प्रावधान है। एक लिखत, एक संविदा या एक डिक्री को धोखाधड़ी के आधार पर अपास्त करने या रद्द करने के लिए अनुच्छेद 59 आकर्षित होता है। परिसीमा का प्रारंभिक बिंदु कथित धोखाधड़ी के ज्ञान की तारीख है। जब वादी संपत्ति पर अपना शीर्षक स्थापित करना चाहता है जो कि डिक्री या एक उपकरण से बचने के बिना स्थापित नहीं किया जा सकता है उसके रास्ते में एक दुर्गम बाधा के रूप में खड़ा है जो हालांकि एक पार्टी नहीं होने पर भी अन्यथा उसे बांधता है। वादी को आवश्यक रूप से घोषणा कराने की प्रार्थनाकरनी होती है और उस डिक्री, दस्तावेज़ या संविदा को रद्द करना या विखण्डित कराना पडता है। विर्निदिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 31 एक लिखत को रद्द करने के लिए वादों को नियंत्रित करती है, जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति जिसके विरूद्ध एक लिखित लिखत शून्य

या शून्यकरणीय है और जिसको यह युक्तियुक्त आशंका हो कि ऐसी लिखत, यदि विद्यमान छोड दी गयी तो वह उसे गंभीर क्षति कर सकती है। उसको शून्य या शून्यकरणीय न्यायनिर्णीत कराने के लिए वाद ला सकेगा। और न्यायालय स्वविवेकानुसार, इस प्रकार न्यायनिर्णीत कर सकेगा और परिदत्त एवं रदद किये जाने का आदेश दे सकेगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विर्निदिष्ट अनुतोष अधिनियम, की धारा 31 में 'व्यक्ति' शब्द अपने विक्रेता से व्युत्पन्न शीर्षक चाहने वाले व्यक्ति को शामिल करने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि यदि वह लिखत, डिक्री या संविदा से बचना चाहता है और डिक्री को रद्द करने या रद्द करने की घोषणा चाहता है तो वह आवश्यक रूप से उस तारीख से तीन वर्ष के भीतर वाद दायर करने के लिए बाध्य है, जबसे उन तथ्यों की जो की वादी को डिक्री को रद्द करने के लिए उसे अधिकार देते हैं, सबसे पहले उनकी जानकारी उसे हुई। "

{स्नेह गुप्ता बनाम देवी सरूप और अन्य। [2009 (2) स्केल 765 भी देखें।]}

20. उपरोक्त कारणों से, आक्षेपित निर्णय रद्द किया जाता है। खर्चे सहित अपील स्वीकार की जाती है। वकील की फीस 25,000/- रुपये आंकी गई।

अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मनोज कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।